न्यायालयः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी- श्री लोकेन्द्र चौधरी, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	-	83/2022
सी.आई.एस नंबर	-	83/2022
CNR No.	-	RJBR130001332022
निर्णय दिनाँक	-	12.03.2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	-	109/2021
पुलिस थाना	-	**किशनगंज, जिला बाराँ (राज.)**

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 458 भारतीय दण्ड संहिता

PART-I

(A)

अभियोगी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री टीकाराम मीना, विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	छोटूलाल पुत्र परसराम, उम्र 40 वर्ष, निवासी- दौलतपुरा, पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री पुष्पेन्द्र सिंह राजावत, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

(B)

अपराध की दिनाँक		28.06.2021
एफ.आई.आर. की दिनाँक		29.06.2021
आरोप पत्र की दिनाँक		10.03.2022
आरोप सुनाये जाने की दिनाँक		10.03.2022
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		12.03.2026
निर्णय सुनाने की दिनाँक		12.03.2026
दण्डादेश (यदि हो तो)	**सुनवाई की दिनाँक**	-

(C)

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

क्र. सं.	**अभियुक्त का नाम**	**प्रथम गिरफ्तारी की दिनाँक**	**प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनाँक**	**आरोपित अपराध**	**दोषसिद्धि या दोषमुक्त**	**दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण**	**अभिरक्षा में बिताई अवधि**
01.	छोटूलाल	06.09.21	14.09.21	341, 323, 458 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	-	दि. 06.09.21 से दि. 14.09.21

PART-II

साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
PW-1	सुगराम	परिवादी/मजरूब
PW-2	अजोध्या बाई	मौका/चश्मदीद साक्षी
PW-3	सुनील	मौका/चश्मदीद साक्षी

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	प्र. पी.1 पी.ड.01	लिखित तहरीरी रिपोर्ट
02.	प्र. पी.2 पी.ड.01	चाक एफ.आई.आर.
03.	प्र. पी.3 पी.ड.01, 02	फर्द नक्शा मौका व निरीक्षण घटनास्थल
04.	प्र. पी.4 पी.ड.01	पुलिस बयान गवाह सुगराम
05.	प्र. पी.5 पी.ड.02	पुलिस बयान गवाह अजोध्या बाई
06.	प्र. पी.6 पी.ड.03	पुलिस बयान गवाह सुनील

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	निल	

(C) न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	निल	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर क्रमांक एवं वर्णन
	निल		

- निर्णय - दिनाँकः 12.03.2026

1. हस्तगत प्रकरण में दिनाँक 10.03.2026 को पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर धारा 341, 323 भा.दं.सं. के अपराध से अभियुक्त छोटूलाल बरुए राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है। अब अभियुक्त के विरुद्ध केवल धारा 458 भा.दं.सं. के अपराध का विचारण शेष है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनाँक 29.06.2021 को परिवादी/मजरूब सुगराम पुत्र राधाकिशन ने उपस्थित पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) होकर लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि कल दिनाँक 28.06.2021 को रात के 11 बजे वह उसके मकान के बाहर खाट पर लेट रहा था। छोटूलाल आया और आते ही उससे मारपीट करने दौड़ा। वह उठकर जाने तो आड़े फिरकर रोक लिया व उसके साथ सरिया से मारपीट की, जो उसके बांये पैर के घुटने के नीचे लगी, खून निकल आया। पीठ पर दांये तरफ और सिर पर पीछे की तरफ लगी। छोटूलाल के साथ 2 आदमी और थे, जो दूर खड़े थे। मौके पर उसकी घरवाली अजोध्या व लड़का सुनील मौजूद थे, जिन्होंने बीच-बचाव किया.....इत्यादि। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.) में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 109/2021 धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत पंजीबद्ध की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त छोटूलाल के विरूद्ध धारा 341, 323, 458 भा.दं.सं. के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 341, 323, 458 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों को पृथक से लिखित रूप में विरचित किया जाकर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को सुन व समझ कर आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन की ओर से उपरोक्त वर्णित साक्ष्य पेश की गई।

5. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

6. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा हो गया है। अपराध धारा 458 भारतीय दण्ड संहिता काबिले राजीनामा नहीं होने से राजीनामा तस्दीक नहीं किया गया है। पक्षकारों में कोई विवाद शेष नहीं रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है। परिवादी सहित सभी गवाहान न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिससे अभियोजन कहानी की ताईद नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्षी अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे

प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

(1) क्या अभियुक्त छोटूलाल ने दिनाँक 28.06.2021 को समय रात्रि के 11 बजे या इसके लगभग मौजा दौलतपुरा थाना किशनगंज में परिवादी/मजरूब सुगराम को उपहति/हमला/सदोष अवरोध करने की तैयारी करते हुए उसके मकान/चौक में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हुए रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार/रात्रौ गृह भेदन कारित किया ?

(2) यदि हाँ, तो उचित दण्ड क्या होगा ?

9. सुना गया, बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि परिवादी/मजरूब सुगराम द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 पेश करने के आधार पर अभियुक्त को आरोपित किया गया है, जिसमें अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट करने का उल्लेख है।

10. उक्त के संबंध में महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.01 सुगराम है, जो हस्तगत प्रकरण में परिवादी होकर मजरूब भी है, ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में वर्णित घटना की किंचित मात्र भी ताईद नहीं करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में 2-3 साल पहले उसकी उसके पड़ौसी छोटूलाल, जो उसका रिश्तेदार भी है, से कहासुनी हो जाने, जिसकी रिपोर्ट थार्ना किशनगंज में देने, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.2, नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 प्रत्येक पर उसकी हस्ताक्षर होने की साक्ष्य देता है। गवाह पूर्णतः पक्षद्रोही हुआ है। **दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी** में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मुलजिम से उसका राजीनामा हो गया है। **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त** में गवाह छोटूलाल और उसके मध्य कहासुनी मकान के बाहर रास्ते में दिन में होना बताता है। गवाह पुलिस द्वारा उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका नहीं बनाना बताता है। गवाह आगे उसका छोटूलाल से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाना और आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहना बताता है।

11. इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से गवाह पी.ड.02 अजोध्या बाई को पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जो परिवादी/मजरूब सुगराम की पत्नी होकर प्रकरण में चमश्दीद साक्षी भी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिवादी/मजरूब सुगराम के बयानों की तरह अपनी मुख्य परीक्षा में उसके पड़ौसी छोटूलाल की उसके पति से कहासुनी हो जाने की साक्ष्य देती है। गवाह आगे साक्ष्य देती है कि उसने घटना नहीं देखी, वह बाहर थी। गवाह आगे साक्ष्य देती है कि उसके पति ने थाना किशनगंज में रिपोर्ट दी थी तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह उनका छोटूलाल से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने तथा आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन करती है। उक्त गवाह भी पूर्णतः पक्षद्रोही हुई है, जो **दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी** के इस सुझाव को स्वीकार करती है कि मुलजिम से उनका राजीनामा हो गया है। **दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त** में गवाह छोटूलाल और उनके

मध्य कहासुनी मकान के बाहर रास्ते में दिन में होना बताती है। गवाह पुलिस द्वारा उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका नहीं बनाना बताती है। गवाह आगे उसका छोटूलाल से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाना और आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहना बताती है।

12. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.ड.03 सुनील है, जो परिवादी/मजरूब सुगराम का पुत्र होकर चश्मदीद साक्षी भी है, अपनी मुख्य परीक्षा में घटना से अनभिज्ञता जाहिर करता है। गवाह मुख्य परीक्षा में साक्ष्य देता है कि उसे घटना के बारे में पता नहीं है। घटना कब हुई, उसे पता नहीं है तथा वह मौके पर नहीं था। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिए। उक्त साक्षी भी पूर्णतः पक्षद्रोही हुआ है। गवाह **दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी** के इस सुझाव को स्वीकार करता है कि मुलजिम से उनका राजीनामा हो गया है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अवसर दिये जाने के पश्चात भी गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

13. इस प्रकार परिवादी पी.ड.01 सुगराम, गवाहान पी.ड.02 अजोध्या बाई व पी.ड.03 सुनील पूर्णतः पक्षद्रोही हुए हैं। गवाह पी.ड.01. सुगराम व गवाह पी.ड.02 अजोध्या बाई ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 से विरोधाभासी कथन किए हैं कि सुगराम व छोटूलाल की आपसी कहासुनी हो गई थी। उनका मुलजिम से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है और वे आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते। स्वयं परिवादी पी.ड.01 सुगराम व पी.ड.02 अजोध्या बाई दौराने प्रतिपरीक्षण छोटूलाल और उनके मध्य कहासुनी मकान के बाहर रास्ते में होना बताते हैं। गवाह पी.ड.03 सुनील घटना से स्पष्ट रूप से अनभिज्ञता जाहिर करता है तथा दौराने प्रतिपरीक्षण इस सुझाव को स्वीकार करता है कि मुलजिम से उनका राजीनामा हो गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित उक्त तीनों गवाहान पुलिस को बयान दिये जाने से स्पष्ट रूप से इंकार करते हैं। इस प्रकार परिवादी सहित सभी गवाह पक्षद्रोही हुए हैं और घटना की लेशमात्र भी ताईद नहीं करते हैं।

14. अतः अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गए किसी भी साक्षी ने घटना की ताईद नहीं की है और परिवादी व अन्य साक्षी ने राजीनामा होने का कथन करते हैं। पत्रावली पर किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त ने परिवादी के घर में उपहति कारित करने, हमला करने या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी कर के रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन कारित किया हो। इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं आई है। अतः **अभियुक्त छोटूलाल** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 458 भा.दं.सं.** के आरोप से **साक्ष्य के अभाव** में **दोषमुक्त** घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

15. अतः **अभियुक्त छोटूलाल पुत्र परसराम, उम्र 40 वर्ष, निवासी-दौलतपुरा, पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां (राज.)** को आरोपित **अपराध अंतर्गत धारा 458 भारतीय दण्ड संहिता** से **साक्ष्य के अभाव** में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

16. **उक्त अभियुक्त को 341, 323 भा.दं.सं. के आरोपों से बरूए राजीनामा पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है।**

17. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् जमानत-मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अपील की अपेक्षा के अध्याधीन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(ए) के अंतर्गत अभियुक्त माननीय अपील न्यायालय में उपसंजात होने हेतु 10,000/- रूपये का जमानत व मुचलका तस्दीक करावे और उक्त बंधपत्र निर्णय की दिनाँक से 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

(लोकेन्द्र चौधरी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

18. निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(लोकेन्द्र चौधरी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज, जिला बारां (राज.)